रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255581 CG-DL-E-19072024-255581

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

No. 3891

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

सं. 50/2024 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.िन. 426(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 01 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.) जिसे भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप- खंड (i) में दिनांक 01 अप्रैल 2023 के सा.का.िन. 261(अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना के खंड 2 में उप-खंड (1) में,-

(i) मद (ख) में "निर्यात ओरिएन्टेड यूनिट" शब्दों के पश्चात् "या विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4422 GI/2024 (1)

(ii) मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक इकाई द्वारा निर्मित अथवा निर्यात किये गये माल के शिपिंग बिल या निर्यात के बिल 1 जुलाई, 2024 या उसके बाद प्रस्तुत किये जाएँगे।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-140605/14/2021-का.निदे.(प्रतिअदायगी)सीबीईसी]

कपिल प्रजापति, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में सा.का.िन. 261(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 मार्च, 2024, जिसे सा.का.िन. 173(अ), दिनांक 11 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

No. 50/2024 - Customs (N.T.)

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2023- Customs (N.T.), dated the 1st April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 261(E), dated the 1st April 2023, namely:-

In the said notification, in clause 2, in sub-clause (1), -

- (i) in item (b), after the words "Export Oriented Unit", the words "or unit in Special Economic Zone" shall be inserted.
 - (ii) after item (d), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that in case of export of goods manufactured by or exported by a unit in Special Economic Zone, the shipping bill or bill of export shall be presented on or after 1st day of July, 2024.".

F. No. CBIC-140605/14/2021-O/o Dir (Drawback)-CBEC]

KAPIL PRAJAPATI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 24/2023-Customs (N.T.), dated the 1st April, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 261(E), dated the 1st April, 2023 and last amended vide notification No. 20/2024-Customs (N.T.), dated the 11th March, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 173 (E), dated the 11th March, 2024.